CURRENT AFFAIRS

Result Mitra™

NEWS FOR UPSC

UPSC, IAS/PCS

State Exam

All Exam

21 Jan. 2025

ABHAY SIR

Result Mitra

Quotes of the Day

“मैंने सफलता के बारे में कभी सपना नहीं देखा।
मैंने इसके लिए काम किया”

- ❖ Topic 1:– न्यायमूर्ति कृष्णन विनोद चंद्रन को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में दिलाई गई शपथ
- ❖ Topic 2:– अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ली ।
- ❖ Topic 3:– अमेरिका में टिकटॉक के इस्तेमाल पर रोक ।
- ❖ Topic 4:- पेंगुइन जागरूकता दिवस
- ❖ Topic 5:- वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम

Result Mitra
न्यायमूर्ति कृष्णन विनोद चंद्रन को सुप्रीम कोर्ट के
न्यायाधीश के रूप में दिलाई गई शपथ

- न्यायमूर्ति कृष्णन विनोद चंद्रन को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में दिलाई गई शपथ
- इन्हे शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना के द्वारा दिलाई गई।

- के. विनोद चंद्रन अभी पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे ।
- उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 34 है जिसमें मुख्य न्यायाधीश भी शामिल हैं।
- न्यायमूर्ति चंद्रन को नवंबर, 2011 को केरल उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया था।
- न्यायमूर्ति चंद्रन 29 मार्च, 2023 से पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे।
- सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम में न्यायमूर्ति बी. आर. गवई, न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति अभय ओका शामिल थे ।

Result Mitra

- ❖ सर्वोच्च न्यायालय :– 34 न्यायाधीशों की निर्धारित स्वीकृत।

- ❖ सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति :

- ❖ सर्वोच्च न्यायालय की संरचना और शक्ति:

- ❖ आरंभ में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या आठ थी (एक मुख्य न्यायाधीश और सात अन्य)।

- ❖ संसद ने समय के साथ न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि की है।

- ❖ संसद ने न्यायाधीशों की संख्या 1950 में 8 से बढ़ाकर 1956 में 11, 1960 में 14, 1978 में 18, 1986 में 26, 2009 में 31 और 2019 में 34 (वर्तमान संख्या) कर दी।

❖ न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिये योग्यताएँ:

❖ संविधान के अनुच्छेद 124 (3) में न्यायाधीश की नियुक्ति का उल्लेख किया गया है जिसके अनुसार, एक व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जा सकता है:

❖ भारत का नागरिक हो।

❖ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कम-से-कम पाँच साल या लगातार दो उच्च न्यायालयों में सेवा की हो।

❖ या कम-से-कम दस वर्षों के लिये एक उच्च न्यायालय का अधिवक्ता या कुल मिलाकर दो या दो से अधिक विभिन्न न्यायालयों में अधिवक्ता रहा हो।

❖ या राष्ट्रपति की राय में एक प्रतिष्ठित न्यायविद होना चाहिये।

Result Mitra

❖ नियुक्ति:

❖ नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 124 के खंड (2) के अंतर्गत की जाती है।

❖ शपथ:

❖ सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के द्वारा शपथ ग्रहण करता है जबकि अन्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के उच्च न्यायाधीश द्वारा।

❖ कार्यकाल और निष्कासन:

❖ न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक पद पर बना रहता है।

❖ हालाँकि एक न्यायाधीश राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा देकर 65 वर्ष की आयु से पूर्व भी इस्तीफा दे सकता है।

❖ वेतन एवं भत्ते:

❖ सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते एवं विशेषाधिकार, अवकाश और पेंशन संसद द्वारा निर्धारित किये जाते हैं।

❖ सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन, पेंशन और भत्ते भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं।

Result Mitra

प्रश्न. भारतीय न्यायपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1.भारत के सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी सेवानिवृत्त न्यायाधीश को भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा भारत के राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से वापस बैठने और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिये बुलाया जा सकता है।

2.भारत में उच्च न्यायालय के पास अपने निर्णय की समीक्षा करने की शक्ति है जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय करता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

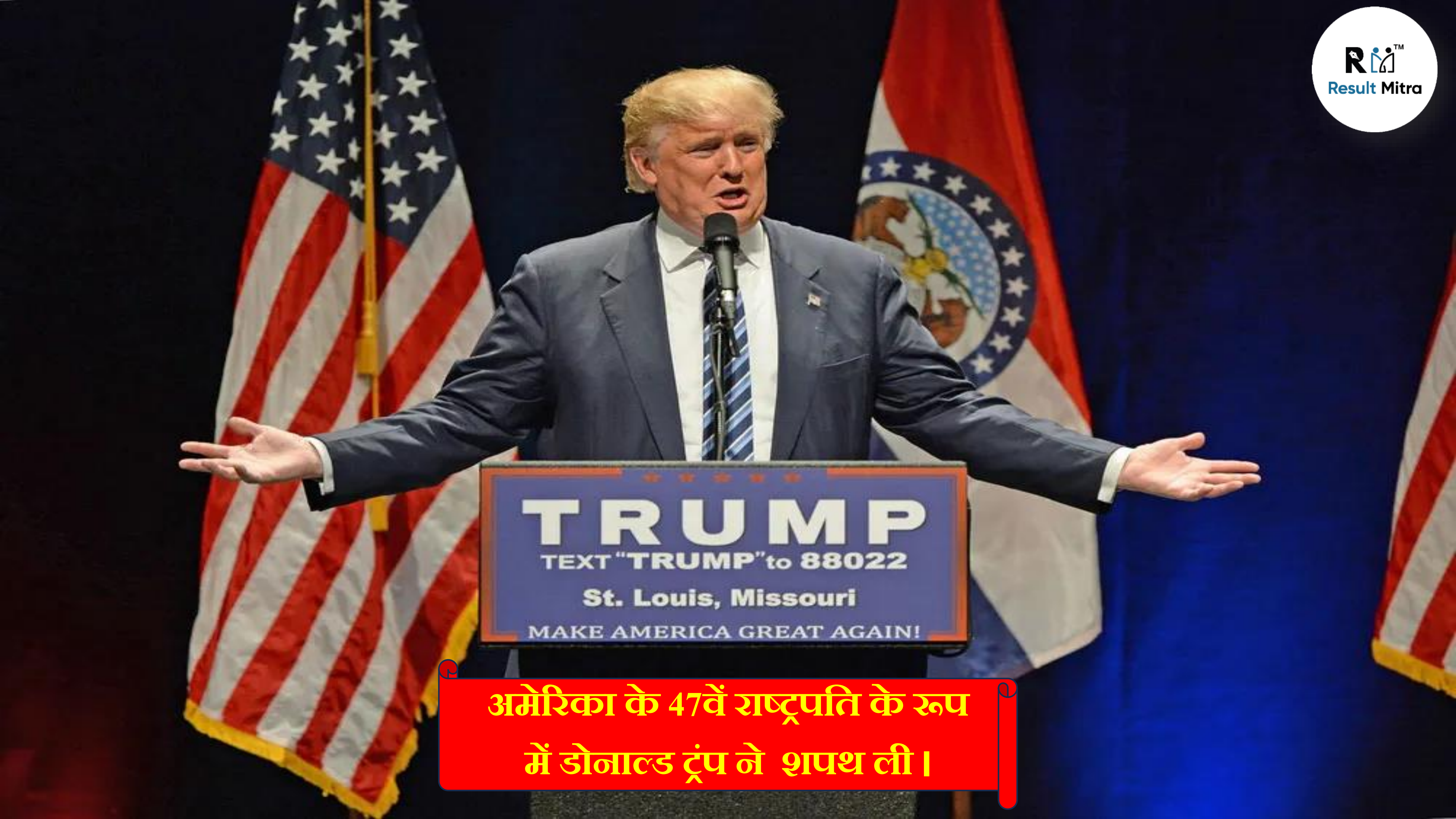
Result Mitra
TRUMP
TEXT "TRUMP" to 88022
St. Louis, Missouri
MAKE AMERICA GREAT AGAIN!
अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप
में डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ली।

- ❖ डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं।

❖ पहला कार्यकाल :–

- ❖ डोनाल्ड ट्रंप पहली बार 20 जनवरी 2017 को अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे। उन्होंने 2016 के राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार हिलेरी क्लिंटन को हराया था।

- ❖ उनका कार्यकाल 20 जनवरी 2017 से 20 जनवरी 2021 तक चला।

- ❖ ट्रंप अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति थे और रिपब्लिकन पार्टी से जुड़े हुए हैं।

- ❖ डोनाल्ड ट्रंप के साथ ही अमेरिका के उप राष्ट्रपति पद के लिए जेडी वेंस ने शपथ ली।

- डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति बनते ही दक्षिणी सीमा पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है। और कहा की बह वहां सशस्त्र सेना भेजेंगे।

- डोनाल्ड ट्रंप ने मेक्सिको सीमा पर इमरजेंसी लागू करने की बात की।

- उन्होंने कहा कि अमेरिका में ड्रग्स तस्कर को आतंकी घोषित करना होगा।

- अमेरिका में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति

- अमेरिका में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की शक्तियां संविधान द्वारा निर्धारित हैं।

- दोनों पद अमेरिकी संघीय सरकार की कार्यकारी शाखा का हिस्सा हैं

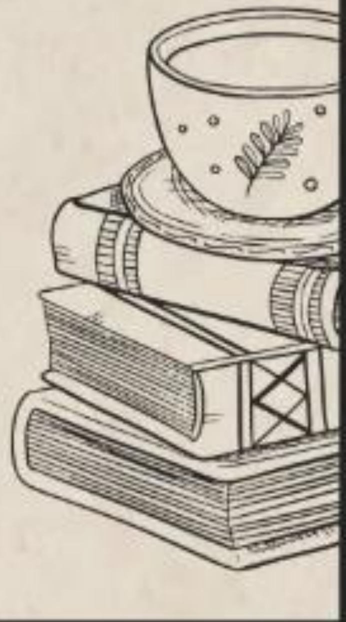

❖ राष्ट्रपति (President) की शक्तियां:

❖ राष्ट्रपति अमेरिका के सबसे शक्तिशाली पदों में से एक हैं और देश के प्रमुख (Head of State) और सरकार के प्रमुख (Head of Government) के रूप में कार्य करते हैं।

❖ 1. कार्यकारी शक्तियां (Executive Powers):

❖ संघीय कानूनों को लागू करना।

❖ मंत्रिमंडल और संघीय एजेंसियों के प्रमुखों की नियुक्ति।

❖ सुप्रीम कोर्ट और अन्य संघीय न्यायाधीशों की नियुक्ति (सीनेट की मंजूरी से)।

❖ 2. सैन्य शक्तियां (Military Powers):

❖ अमेरिकी सशस्त्र बलों के कमांडर-इन-चीफ।

❖ युद्ध की स्थिति में सैन्य संचालन का नेतृत्व। (हालांकि, युद्ध की घोषणा का अधिकार कांग्रेस के पास है।)

Result Mitra

❖ 3. कानूनी शक्तियां (Legislative Powers):

❖ कांग्रेस द्वारा पारित विधेयकों को मंजूरी देना या वीटो करना।

❖ सालाना स्टेट ऑफ द यूनियन भाषण के जरिए राष्ट्रीय प्राथमिकताओं का निर्धारण।

❖ विशेष परिस्थितियों में कांग्रेस का विशेष सत्र बुलाना।

❖ 4. राजनयिक शक्तियां (Diplomatic Powers):

❖ विदेशी देशों के साथ संधियों पर बातचीत और हस्ताक्षर (सीनेट की मंजूरी से)।

❖ विदेशी नेताओं के साथ बातचीत और कूटनीतिक संबंधों को बनाए रखना।

❖ राजदूतों और अन्य राजनयिकों की नियुक्ति।

❖ 5. अन्य शक्तियां:

❖ दोषियों को क्षमा करना या उनकी सजा कम करना।

❖ राष्ट्रीय आपात स्थिति में विशेष शक्तियों का उपयोग।

❖ उपराष्ट्रपति (Vice President) की शक्तियां:

❖ उपराष्ट्रपति का मुख्य कार्य राष्ट्रपति के उत्तराधिकारी के रूप में काम करना है, यदि राष्ट्रपति अपनी जिम्मेदारियां निभाने में असमर्थ हो जाएं।

❖ 1. संसदीय शक्तियां (Legislative Powers):

❖ उपराष्ट्रपति अमेरिकी सीनेट के अध्यक्ष (President of the Senate) होते हैं।

❖ सीनेट में बराबर वोट होने की स्थिति में निर्णायक वोट देने का अधिकार।

❖ 2. उत्तराधिकार की भूमिका:

❖ यदि राष्ट्रपति का निधन हो जाए, इस्तीफा दे दें, या उन्हें हटाया जाए, तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद संभालते हैं।

❖ 25वें संशोधन के तहत, राष्ट्रपति अस्थायी रूप से अपने कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हों, तो उपराष्ट्रपति कार्यकारी शक्तियां संभालते हैं।

❖ 3. अन्य भूमिकाएं:

- ❖ राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए कार्यों को पूरा करना।
- ❖ राष्ट्रपति की सलाहकार परिषद में शामिल होना।
- ❖ महत्वपूर्ण सरकारी एजेंसियों और विशेष मिशनों का प्रतिनिधित्व करना।

Result Mitra

TikTok

अमेरिका में टिकटॉक के इस्तेमाल पर रोक।

- अमेरिका में फेडरल कोर्ट के द्वारा टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने वाले क़ानून के पक्ष में फ़ैसला दिया गया.

- इस प्रतिबंध से बचने के लिए टिकटॉक के पास एक ही विकल्प है अगर पेरेंट कंपनी 'बाइटडांस' टिकटिक को किसी मान्यता प्राप्त अमेरिकी कंपनी को बेच दे.

टिकटॉक पर आरोप :–

- टिकटॉक पर हद से अधिक डेटा जमा करने का आरोप.
- ऑस्ट्रेलियाई साइबर कंपनी इंटरनेट 2.0 के शोधकर्ताओं ने जुलाई 2022 में एक रिपोर्ट प्रकाशित की :– टिकटॉक पर डेटा कलेक्शन के आरोपों के सबूत के तौर पर पेश किया जाता है.

❖ **भारत में क्यों लगी है पाबंदी?**

❖ भारत में टिकटोक (TikTok) और अन्य चीनी ऐप्स को जून 2020 में बंद कर दिया गया था। इसका मुख्य कारण राष्ट्रीय सुरक्षा और गोपनीयता संबंधी चिंताएँ थीं। इसके पीछे कुछ प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं:

❖ **1. डाटा सुरक्षा का खतरा:**

❖ भारत सरकार ने दावा किया कि इन ऐप्स के माध्यम से भारतीय नागरिकों का डाटा चोरी हो रहा था और इसे भारत के बाहर सर्वरों पर स्टोर किया जा रहा था। इससे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो सकता था।

❖ **2. भारत-चीन सीमा विवाद:**

❖ जून 2020 में भारत और चीन के बीच गलवान घाटी में सीमा पर संघर्ष हुआ, जिसमें भारतीय सैनिक शहीद हुए। इस घटना के बाद भारत ने चीनी ऐप्स पर कड़ा रुख अपनाया।

Result Mitra

❖ 3. आईटी अधिनियम की धारा 69ए का उपयोग:

❖ भारत सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 69ए का उपयोग करके टिकटोक समेत 59 चीनी ऐप्स को बंद किया। सरकार का कहना था कि ये ऐप्स "भारत की संप्रभुता, अखंडता, सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए हानिकारक" हैं।

❖ 4. लोकल समर्थन:

❖ इस कदम को भारत में व्यापक समर्थन मिला क्योंकि इसे "आत्मनिर्भर भारत" अभियान के हिस्से के रूप में देखा गया। कई भारतीय ऐप्स ने इसका फायदा उठाकर टिकटोक की जगह ले ली।

❖ नतीजा:

❖ टिकटोक और अन्य चीनी ऐप्स को भारतीय बाजार से हटा दिया गया, और इसने भारत में स्थानीय ऐप डेवलपर्स को आगे बढ़ने का मौका दिया। हालांकि, टिकटोक ने इस निर्णय को चुनौती दी थी, लेकिन इसे भारत में अब तक वापस आने की अनुमति नहीं मिली है।

Result Mitra
पेंगुइन जागरूकता दिवस

❖ पेंगुइन जागरूकता दिवस - यूपीएससी संदर्भ में प्रमुख तथ्य

❖ 1. मनाने की तिथि:

❖ हर साल 20 जनवरी को मनाया जाता है।

❖ 2. पेंगुइन प्रजातियां:

❖ दुनिया में पेंगुइन की लगभग 18 प्रजातियां हैं।

❖ इनमें से कई प्रजातियां IUCN (International Union for Conservation of Nature) की लाल सूची में शामिल हैं।

❖ जैसे एंपरर पेंगुइन (Emperor Penguin) को नियर थ्रेटन्ड (Near Threatened) के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

❖ 3. प्रमुख आवास क्षेत्र:

- ❖ पेंगुइन मुख्य रूप से दक्षिणी गोलार्ध में पाए जाते हैं।
- ❖ इनका मुख्य निवास स्थान:
- ❖ अंटार्कटिका, न्यूजीलैंड,
- ❖ ऑस्ट्रेलिया, गैलापागोस द्वीप (इक्वेटर के पास),
- ❖ दक्षिण अफ्रीका, और दक्षिण अमेरिका।

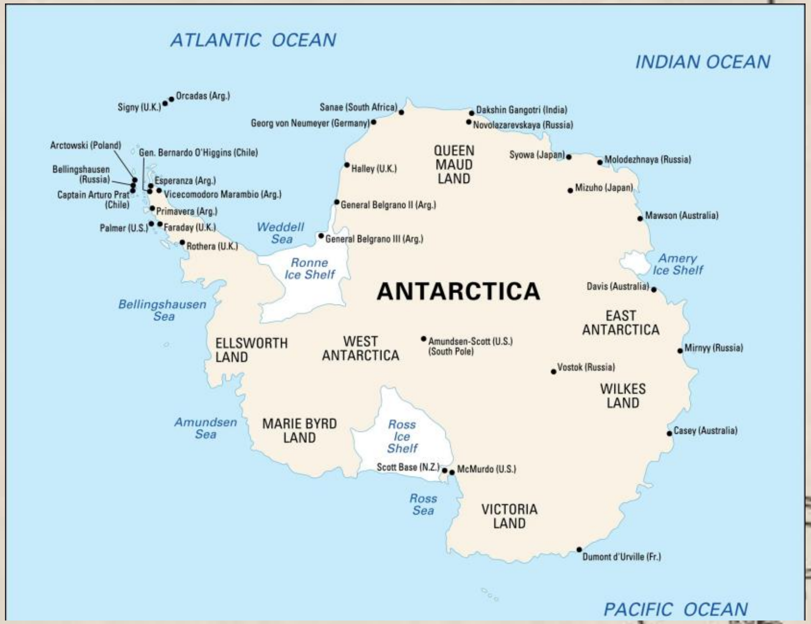

❖ 4. पेंगुइन संरक्षण के लिए खतरे:

- ❖ जलवायु परिवर्तन: समुद्र के बर्फ पिघलने से उनके आवास नष्ट हो रहे हैं।
- ❖ प्रदूषण: प्लास्टिक प्रदूषण और तेल रिसाव उनके जीवन के लिए खतरनाक हैं।
- ❖ ओवरफिशिंग: उनके भोजन स्रोत (मछलियाँ और क्रिल) कम हो रहे हैं।
- ❖ पर्यटन और मानवीय हस्तक्षेप।

❖ 5. संरक्षण प्रयास:

❖ अंटार्कटिक संधि प्रणाली (Antarctic Treaty System): अंटार्कटिक क्षेत्र के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण।

❖ मैरीन प्रोटेक्टेड एरिया (Marine Protected Areas): पेंगुइन के समुद्री पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए।

❖ विभिन्न NGOs और संगठनों जैसे WWF और BirdLife International द्वारा संरक्षण कार्यक्रम।

❖ पेंगुइन और भारत

❖ पेंगुइन मुख्य रूप से दक्षिणी गोलार्ध के ठंडे क्षेत्रों में पाए जाते हैं। भारत में पेंगुइन स्वाभाविक रूप से नहीं पाए जाते, लेकिन पर्यावरणीय अनुसंधान, संरक्षण प्रयासों और पर्यटन के कारण भारत का पेंगुइन से अप्रत्यक्ष संबंध है।

❖ 1. भारत में पेंगुइन से संबंधित पहल

(i) भारतीय चिड़ियाघरों में पेंगुइन:

Result Mitra

- भारत में पेंगुइन पहली बार 2016 में मुंबई के वीरमाता जीजाबाई भोसले उद्यान और चिड़ियाघर (रानी बाग) में लाए गए।
- यहाँ हमबोल्ट पेंगुइन (Humboldt Penguin) की प्रजाति रखी गई है।
- यह पेंगुइन की एक समशीतोष्ण (Temperate) प्रजाति है, जो प्राकृतिक रूप से दक्षिण अमेरिका के तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है।

(ii) अंटार्कटिका अनुसंधान:

- भारत अंटार्कटिका में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए सक्रिय भूमिका निभा रहा है।

भारत के तीन अनुसंधान केंद्र:

- 1. दक्षिण गंगोत्री (1983, अब निष्क्रिय),
- 2. मैत्री (1989),
- 3. भारती (2012)।

इन केंद्रों पर जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता के अध्ययन में पेंगुइन के आवास और पर्यावरण का भी अध्ययन किया जाता है।

(iii) अंतरराष्ट्रीय संधियाँ:

भारत अंटार्कटिक संधि (Antarctic Treaty) का सदस्य है, जो अंटार्कटिका के पर्यावरण और जैव विविधता की रक्षा करती है।

भारत CCAMLR (Convention for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources) का भी हिस्सा है। यह संगठन अंटार्कटिक क्षेत्र के समुद्री जीवन को संरक्षित करता है।

2. पेंगुइन संरक्षण और भारत का योगदान

(i) जलवायु परिवर्तन पर भारत की भूमिका:

भारत पेरिस समझौते और क्योटो प्रोटोकॉल जैसे मंचों के माध्यम से जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए प्रयासरत है।

पेंगुइन जैसे प्राणियों पर ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव कम करने के लिए यह कदम महत्वपूर्ण हैं।

❖ (ii) समुद्री संरक्षण प्रयास:

❖ भारत अपने समुद्री क्षेत्रों में जैव विविधता संरक्षण के लिए मैरीन प्रोटेक्टेड एरियाज (Marine Protected Areas) विकसित कर रहा है।

❖ (iii) शिक्षा और जागरूकता:

❖ चिड़ियाघरों और अनुसंधान केंद्रों में पेंगुइन को लाने का उद्देश्य जनता में जैव विविधता और संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना है।

❖ 3. भारत और पेंगुइन से जुड़े मुद्दे

❖ 1. अनुकूल पर्यावरण:

❖ भारत का जलवायु पेंगुइन की अधिकांश प्रजातियों के लिए उपयुक्त नहीं है। विशेषत: समशीतोष्ण या ठंडे क्षेत्रों के प्राणियों को जीवित रखना चुनौतीपूर्ण है।

Result Mitra

Result Mitra

❖ **2. पेंगुइन संरक्षण का खर्च:**

❖ मुंबई चिड़ियाघर में हमबोल्ट पेंगुइन का रखरखाव काफी महंगा है।

❖ भोजन, तापमान नियंत्रण और स्वास्थ्य सुविधाओं पर विशेष ध्यान देना पड़ता है।

❖ **3. जैव विविधता पर जागरूकता की कमी:**

❖ भारत में पेंगुइन जैसे विदेशी प्रजातियों को देखने का आकर्षण अधिक है, लेकिन संरक्षण के महत्व को समझने की जागरूकता अभी भी सीमित है।

Result Mitra

WORLD ECONOMIC FORUM

वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम

❖ इस संगठन की 55वीं वार्षिक बैठक शुरू ।

❖ विश्व आर्थिक मंच यनी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 55वीं वार्षिक बैठक का आयोजन स्विट्जरलैंड के दावोस हो रहा है।

❖ **विश्व आर्थिक मंच (WEF) :–**

❖ यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो सार्वजनिक-निजी सहयोग को बढ़ावा देता है।

❖ **उद्देश्य:–** वैश्विक, क्षेत्रीय और उद्योग संबंधी मुद्दों पर समाज के अग्रणी नेताओं को एक मंच पर लाकर विचार-विमर्श करना है।

❖ **मुख्यालय:–** जिनेवा, स्विटजरलैंड में स्थित है।

❖ स्थापना और इतिहास

❖ WEF की स्थापना 1971 में जर्मन प्रोफेसर क्लॉस श्वाब द्वारा की गई थी।

❖ इसे पहले यूरोपीय प्रबंधन फोरम के नाम से जाना जाता था।

❖ श्वाब ने "हितधारक पूंजीवाद" की अवधारणा पेश की, जिसके अनुसार कंपनियां सिर्फ शेयरधारकों के लाभ के बजाय समाज के सभी हितधारकों के लिए दीर्घकालिक मूल्य सृजन करती हैं।

❖ प्रमुख घटनाएँ

❖ 1. 1973 के घटनाएँ: ब्रेटन वुड्स प्रणाली और अरब-इजरायल युद्ध के कारण WEF का ध्यान आर्थिक और सामाजिक मुद्दों की ओर मुड़ा।

❖ 2. 1987: यूरोपीय प्रबंधन मंच का नाम बदलकर विश्व आर्थिक मंच रखा गया, और इसके दृष्टिकोण को वैश्विक संवाद के लिए व्यापक किया गया।

❖ 3. 2015: WEF को औपचारिक रूप से एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में मान्यता मिली।

❖ वित्तपोषण

❖ WEF का वित्तपोषण मुख्यतः बड़ी कंपनियों से होता है, जिनका वार्षिक कारोबार 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक होता है।

❖ दावोस बैठक

❖ WEF की वार्षिक बैठक दावोस में आयोजित होती है, जिसमें लगभग 3,000 प्रतिभागी शामिल होते हैं।

❖ इनमें व्यापार, राजनीति, अर्थशास्त्र और अन्य क्षेत्रों के प्रमुख नेता, निवेशक और मशहूर हस्तियाँ होती हैं।

❖ इस बैठक में वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की जाती है।

THANK YOU

@resultmitra / 8650457000

@resultmitra

@resultmitra

LIKE & SHARE

PDF

+ SUBSCRIBE